

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी	
बालाराम पुत्र पन्दायत कुचारा आरुपुय		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी	
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत			
वाद-पत्र नम्बर	323/2021	GCMS No.	2021/1120
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9.12.2021	<p>वादी श्री <u>बालाराम</u> पुत्र <u>पन्दायत</u> जाति <u>कुचारा</u> निवासी <u>आरुपुय</u> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <u>यान्दपुय</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत <u>2075-2078</u> ग्राम <u>आरुपुय</u> पटवार मण्डल <u>किमिया</u> के खाता नम्बर <u>180, 56</u> मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि <u>बालेश्वरराम, बालेश्वरराम पि. पन्दायत</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम <u>बालाराम पुत्र पन्दायत</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. <u>008380100384</u> आधार नम्बर <u>7279 3298 2011</u> मतदाता पहचान पत्र <u>मन्नापह कार्ड</u> अन्य दस्तावेज <u>मन्नापह कार्ड</u> <u>VTVVWRKX, UC के गांव के जवाबदार</u> की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <u>किमिया</u> भू.अ.नि. <u>कुचामनसिटी</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>		

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)



1311-1323